लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1333

01 दिसम्बर, 2014 को उत्तर के लिए

इस्पात का उत्पादन

1333. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:
डॉ. मनोज राजोरिया:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इस्पात के उत्पादन में भारी गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विशाखापतनम इस्पात संयंत्र सहित भारतीय इस्पात प्राधिकरण (एसएआईएल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल) के एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा उनके विक्रय योग्य इस्पात उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्यों और की गई उपलब्धियों का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान अपेक्षित उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

इस्पात और खान राज्य मंत्री **श्री विष्णु देव साय**

(क): जी, नहीं। अप्रैल-अक्टूबर, 2014 और अप्रैल-अक्टूबर, 2013 की अवधि के दौरान क्रूड इस्पात के उत्पादन के अनंतिम आंकड़े नीचे दिए गए हैं, जो कि इस अवधि के दौरान संतुलित वृद्धि को इंगित करते हैं।

अवधि	**क्रूड इस्पात का उत्पादन (मिलियन टन में)**
अप्रैल-अक्टूबर, 2014 *	48.491
अप्रैल-अक्टूबर, 2013	47.380
% **परिवर्तन** *	2.3
स्रोत : **संयुक्त संयंत्र समिति**, * **अनंतिम**	

(ख): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) का कार्य निष्पादन उनके विक्रेय इस्पात उत्पादन (विक्रेय इस्पात और पिग आयरन) के लक्ष्यों की तुलना में निम्नवत है:

यूनिट : हजार टन में

	सेल		**आरआईएनएल**	
विक्रेय इस्पात उत्पादन	**लक्ष्य**	**वास्तविक**	**लक्ष्य**	**वास्तविक**
2011-12	12684	12506	3467	2990
2012-13	13152	12599	3467	2900
2013-14	14000	13103	3470	3016
2014-15	6561*	6443*	2149**	1573**

* **अप्रैल- सितम्बर** 2014

** **अप्रैल- अक्टूबर** 2014

(ग) : इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होती है, जो अनुकूल नीतिगत व्यवस्था प्रदान करती है। तथापि, सरकार ने इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. इस्पात क्षेत्र में विभिन्न निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिए इस्पात मंत्रालय में एक अंतर मंत्रालयीन समूह (आईएमजी) का गठन किया गया हैं।

ii. इस्पात क्षेत्र समेत विनिर्माण/अवसंरचना क्षेत्र में 1000 करोड़ रूपये अथवा इससे अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए विभिन्न स्वीकृतियों में तेजी लाने/इनमें विलम्ब करने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए मंत्रिमण्डल सचिवालय के अधीन एक परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) का गठन किया गया हैं।

iii. घरेलू इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क की उपलब्धता सुधारने और घरेलू मूल्य वर्धन बढ़ाने के लिए लौह अयस्क के निर्यात पर शुल्क बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। हाल ही में सरकार ने लौह अयस्क पैलेटों के निर्यात पर यथा मूल्य 5 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्क लगाया है।

iv. वर्ष 2014-15 के केंद्रीय बजट में स्टेनलेस स्टील के चपटे उत्पादों पर सीमा शुल्क की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत की गई है।

***